

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
हाथरस।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
श्री राधाबिहारी पब्लिक स्कूल,  
एम.जी. पॉलिटैक्निक के सम्मने, <sup>मंजूरी</sup>  
आगरा रोड, जनपद हाथरस।

पत्रांक: बे०मान्यता/ 8605-08 / 2017-18

दिनांक: 30-12-2017

विषय:—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए अंग्रेजी माध्यम की नवीन अस्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके तारीख 30.08.2017 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं—श्री राधाबिहारी पब्लिक स्कूल एम.जी. पॉलिटैक्निक के सम्मने, आगरा रोड, जनपद—हाथरस को तारीख 01.04.2017 से तारीख 31.03.2020 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देती हूँ।  
उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्वधीन है:—

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत एवं आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालयों को धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक प्रथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्वधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :
  - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्वधीन नहीं किया जाएगा।
  - (3) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
  - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
  - (5) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
  - (6) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(VIKRAM SINGH)

Principal

Shri Radha Bihari Public School

Hathras- 204101 (U.P.)

CBSE Affi. No.- 2133166

Manager

Shri Radha Bihari Public School

Hathras-204101 (U.P.)

- (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,  
 (8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
  - 8 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएगी।
  - 9 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
  - 10 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का, 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जायेगा।
  - 11 स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा।
  - 12 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एंकाउंटेड द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
  - 13 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक इस पत्र का पत्रांक संख्या 8605-08 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
  - 14 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकारणी की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाए।
  - 15 सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
  - 16 संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्त।
  - 17 विद्यालय में अनियमिततायें पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।

भवदीय

(रेखा सुमन)  
 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 हाथरस

पृष्ठांकन सं०: / 2017-18 तददिनांक।  
 प्रतिलिपि-निम्नांकित की सेवामें सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।  
 01-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।  
 02-खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र हाथरस।  
 03-कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
 हाथरस

(VIKRAM SINGH)

Principal

Shri Radha Bihari Public School  
 Hathras- 204101 (U.P.)  
 CBSE Affi. No.- 2133166

Runeet  
 Kumar  
 Manager

Shri Radha Bihari Public School  
 Hathras-204101 (U.P.)